v/;k; 2

foRrh; izcU/ku ,oa ctVh; fu;a=.k

2.1 izLrkouk

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा–जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2014 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों एवं विशिष्ट सेवाओं पर हुए वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाने के लिये एक नियन्त्रण अभिलेख है और इस कारण यह वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 fofu;ksx ys[kk dk laf{kIr fooj.k

बजट मैनुअल के प्रस्तर 141 के अनुसार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धनराशि, जो अंतिम विवरण में बचत दर्शायी गयी है, नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपयोग में नहीं लायी जायेगी। सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2014–15 की अवधि में 94 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति lkj.kh 2-1 में दी गयी है।

lkj.kh 2-1% ey@vuiwjd iwo/kkuk ds lkjk{k fd;s x;s okLrfod O;; dh lef{kIr fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

O;; dk Lo:i		ey vunku@ fofu;kx	vuiwjd vunku@ fofu;kx	;kx vunku@ fofu;kx	okLrfod O;;	cpr	vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ dks vH;fiZr /kujkf'k	31 ekpZ dks vH;fiZr cpr dh izfr'krrk
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	dk-7@dk-6
nÙker	I राजस्व	1,72,264.13	6,611.81	1,78,875.94	1,49,660.00	29,215.94	16,374.84	16,374.84	56
	II पूंजीगत	67,997.14	7,714.66	75,711.80	66,734.54	8,977.26	7,224.75	7,224.75	80
	III ऋण तथा अग्रिम	1,909.67	514.50	2,424.17	1,872.64	551.53	324.08	324.08	59
;kx nÙker		**2,42,170.94**	**14,840.97**	**2,57,011.91**	**2,18,267.18**	**38,744.73**	**23,923.67**	**23,923.67**	**62**
Hkkfjr	IV राजस्व	26,926.14	15.17	26,941.31	23,671.87	3,269.44	320.14	320.14	10
	V पूंजीगत	510.83	0	510.83	454.17	56.66	43.78	43.78	77
	VI लोकऋण–पुनर्भुगतान	19,383.88	0	19,383.88	9,411.21	9,972.67	8,268.15	8,268.15	83
;kx Hkkfjr		**46,820.85**	**15.17**	**46,836.02**	**33,537.25**	**13,298.77**	**8,632.07**	**8,632.07**	**65**
egk;kx		**2,88,991.79**	**14,856.14**	**3,03,847.93**	**2,51,804.43**	**52,043.50**	**32,555.74**	**32,555.74**	**63**

ukV% okLrfod O;; ds vkdMks esa ftles nÙker jktLo O;; (₹ **2,304.54** djksM+½ ,oa nRrer iwthxr O;; (₹ **13,891.43** djksM+½ ds vUrxZr olfy;ksa dks O;; esa ls ?kVkdj lek;kstu djrs gq, lfEefyr fd;k x;k gSA

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज वर्ष 2014–15)

lkj.kh 2-1 दर्शाती है कि ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचत कुल अनुदान/विनियोग (₹ 3,03,847.93 करोड़) का 17 *प्रतिशत* थी। कुल बचत (₹ 52,043.50 करोड़) में से ₹ 32,555.74 करोड़ समर्पित किया गया, जो कुल बचत का 63 *प्रतिशत* थी। दत्तमत अनुभाग के अधीन बचतें (₹ 38,744.73 करोड़), कुल अनुदानों (₹ 2,57,011.91 करोड़) का 15 *प्रतिशत* थीं। इसमें से ₹ 23,923.67 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2015 को समर्पित की गयी, जो बचत का 62 *प्रतिशत* थी। भारित अनुभाग के अंतर्गत कुल बचतें ₹ 13,298.77 करोड़ कुल विनियोग (₹ 46,836.02 करोड़) का 28 *प्रतिशत* थीं। कुल बचतों में से ₹ 8,632.07 करोड़ 31 मार्च 2015 को समर्पित किया गया, जो बचतों का 65 *प्रतिशत* थीं।

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 125 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 76 प्रकरणों में ₹ 55,351.80 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के छः प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के छः प्रकरणों में ₹ 3,308.30 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

2.3 foRrh; mRrjnkf;Ro rFkk ctV izcU/ku

2.3.1 vkoVuh; izko/kkuksa dk lkjka'k fofu;kx

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 136 प्रकरणों में प्रत्येक में बचतें ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं ¼*ifjf'k"V 2-1*½। ₹ 55,351.80 करोड़ की कुल बचतों के सापेक्ष 33 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 47 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 52,902.17 करोड़ (96 *प्रतिशत*) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण lkj.kh 2-2 में दिया गया है।

Lkkj.kh 2-2½ ₹ 100 djksM+ ;k mlls vf/kd dh cpr okys vuqnku

¼₹ djksM+ esa½

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	izko/kku			okLrfod O;;	cpr
			ey vuqnku	vuqiwjd	dqy vuqnku		
		jktLo &nÙker					
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,797.56	224.26	3,021.82	2,596.44	425.38
2.	12	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	500.54	0.00	500.54	231.20	269.34
3.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,974.09	0.40	1,974.49	1,574.75	399.74
4.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,009.48	557.89	6,567.37	4,199.10	2,368.27
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	11,641.86	2.12	11,643.98	10,649.89	994.09
6.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,111.43	255.83	4,367.26	3,695.12	672.14
7.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	597.08	0.00	597.08	491.55	105.53
8.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3,618.60	7.70	3,626.30	3,415.59	210.71
9.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	549.22	0.00	549.22	359.14	190.08
10.	37	नगर विकास विभाग	4,978.83	568.61	5,547.44	2,785.32	2,762.12
11.	40	नियोजन विभाग	305.58	6.32	311.90	161.96	149.94
12.	42	न्याय विभाग	1,427.27	15.00	1,442.27	1,111.62	330.65
13.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,694.91	0.35	1,695.26	879.86	815.40
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,069.81	101.10	5,170.91	4,800.87	370.04
15.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	779.45	1.92	781.37	605.29	176.08
16.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध मे राहत)	494.81	198.00	692.81	487.31	205.50
17.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	2,837.78	60.00	2,897.78	2,560.38	337.40
18.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,806.52	21.00	1,827.52	561.84	1,265.68
19.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	11,043.60	0.02	11,043.62	10,933.98	109.64
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	24,296.58	5.15	24,301.73	20,472.20	3,829.53
21.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	416.55	0.40	416.95	247.13	169.82
22.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	27,215.55	74.69	27,290.24	22,899.70	4,390.54
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,229.39	25.50	7,254.89	6,467.14	787.75
24.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,042.50	18.04	2,060.54	1,638.15	422.39
25.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	455.37	0.00	455.37	232.90	222.47
26.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,509.52	1.45	1,510.97	908.64	602.33
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,070.96	0.00	5,070.96	3,458.11	1,612.85

28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,315.95	150.33	9,466.28	6,956.34	2,509.94
29.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,522.71	646.39	3,169.10	2,423.15	745.95
30.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,217.16	0.00	3,217.16	2,477.86	739.30
		;kX	**1,45,530.66**	**2,942.47**	**1,48,473.13**	**1,20,282.53**	**28,190.60**
		jktLo - Hkkfjr					
31.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	26,228.78	0.00	26,228.78	23,016.99	3,211.79
		;kX	26,228.78	0.00	26,228.78	23,016.99	3,211.79
		iwathxr - nÙker					
32.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,279.78	141.66	3,421.44	2,964.56	456.88
33.	9	ऊर्जा विभाग	11,096.18	2,295.56	13,391.74	11,776.74	1,615.00
34.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	809.00	156.75	965.75	679.58	286.17
35.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	9,025.66	1,398.02	10,423.68	8,405.78	2,017.90
36.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7,776.51	0.00	7,776.51	5,584.47	2,192.04
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	757.80	107.97	865.77	754.93	110.84
38.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,059.01	0.00	1,059.01	6.24	1,052.77
39.	42	न्याय विभाग	725.63	13.50	739.13	585.24	153.89
40.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	999.98	0.00	999.98	359.54	640.44
41.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	169.66	0.00	169.66	69.53	100.13
42.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	274.14	0.00	274.14	144.73	129.41
43.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	2,221.40	0.00	2,221.40	2,104.65	116.75
44.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	648.11	11.00	659.11	302.40	356.71
45.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,691.20	1,181.43	7,872.63	6,237.87	1,634.76
46.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5,044.86	316.05	5,360.91	4,696.28	664.63
		;kX	**50,578.92**	**5,621.94**	**56,200.86**	**44,672.54**	**11,528.32**
		iwathxr &Hkkfjr					
47.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	19,331.17	0.00	19,331.17	9,359.71	9,971.46
		;kX	**19,331.17**	**0.00**	**19,331.17**	**9,359.71**	**9,971.46**
		egk;kX	**2,41,669.53**	**8,564.41**	**2,50,233.94**	**1,97,331.77**	**52,902.17**

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2014–15)

lkj.kh यह दर्शाती है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत (14 अनुदानों) अनुदान संख्या 14–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 26–गृह विभाग (पुलिस), 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 37– नगर विकास विभाग, 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 79– समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण),

80– समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में हुई। इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत (सात अनुदानों) अनुदान संख्या 9– ऊर्जा विभाग, 13– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 21–खाद्य एवं रसद विभाग, 35– चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 48– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही। इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व भारित के साथ–साथ पूंजीगत भारित के अन्तर्गत अनुदान संख्या 61– वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में भी रही।

वर्ष 2014–15 में जिन 19 अनुदानों में बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक की) हुई उनके नाम हैं– 9– ऊर्जा विभाग, 13– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 14–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 21–खाद्य एवं रसद विभाग, 26–गृह विभाग (पुलिस), 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 35– चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 37– नगर विकास विभाग, 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 61–वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय), 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 79– समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)।

विगत वर्ष में हुई बचत से तुलना करने पर पाया गया कि (₹ 500 करोड़ से अधिक) 19 अनुदानों में से 13 अनुदानों में बचत हुई जैसा lkj.kh 2-3 में विवरण दिया गया है।

lkj.kh 2-3% cpr n'kkus okys vuqnku

¼₹ करोड़ में)

Ø0 l0	vuqnku l[;k	vuqnku dk uke	o"kZ dh nkSjku gqbZ cpr ¼₹ 500 djksM+ vkSj vf/kd½	
			2013&14	2014&15
1.	21	खाद्य एवं रसद विभाग–पूँजीगत दत्तमत	4,664.82	2,192.04
2.	26	गृह विभाग (पुलिस)– राजस्व दत्तमत	982.88	994.09
3.	37	नगर विकास विभाग – राजस्व दत्तमत	654.69	2,762.12
4.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) – राजस्व दत्तमत	1,041.27	1,265.68
5.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)–पूँजीगत भारित	9,840.02	9,971.46
6.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) – राजस्व दत्तमत	1,833.47	3,829.53
7.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)–राजस्व दत्तमत	2,567.23	4,390.54
8.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)– राजस्व दत्तमत	874.11	787.75
9.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)–राजस्व दत्तमत	1,315.74	2,509.94
10.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)– पूँजीगत दत्तमत	524.04	1,634.76
11.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – राजस्व दत्तमत	738.76	745.95
12.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – पूँजीगत दत्तमत	1,756.34	664.63
13.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) – राजस्व दत्तमत	597.47	739.30

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2013–14 एवं 2014–15)

वर्ष 2014–15 में प्रावधानित अनुदानों/विनियोगों में से अत्यधिक धनराशियों की बचत आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.2 vuojr cpr

सोलह अनुदानों के अन्तर्गत 18 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) हो रही थी। इसका विवरण lkj.kh 2-4 में दिया गया है। वर्ष 2014–15 में यह बचत ₹ 110.84 करोड़ (पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अनुदान संख्या 26– गृह विभाग–पुलिस) एवं ₹ 9,971.46 करोड़ (पूँजीगत भारित अनुभाग के अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग–ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) के मध्य थी।

lkj.kh 2-4½ vuojr cprksa okys vqnkuksa dk fooj.k

¼₹ करोड़ में)

Ø0 l0	vuqnku la[;k	vuqnku dk uke	cpr dh /kujkf'k				
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jktLo&nÙker							
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	217.67	766.36	644.92	596.10	425.39
2.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	148.94	134.32	103.79	201.09	399.75
3.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	226.92	211.62	907.53	462.21	2,368.27
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	203.62	145.70	403.79	471.31	672.14
5.	37	नगर विकास विभाग	711.79	625.51	238.51	654.69	2,762.12
6.	42	न्याय विभाग	230.59	172.36	178.52	223.31	330.65
7.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	180.62	636.10	372.97	271.58	370.04
8.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	396.56	238.54	681.45	1,041.27	1,265.68
9.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	785.84	582.87	1,276.77	874.11	787.75
10.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	571.89	745.76	816.09	348.28	422.39
11.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	110.33	792.46	1,762.10	1,315.74	2,509.94
		;ksx	**3,784.77**	**5,051.60**	**7,386.44**	**6,459.69**	**12,314.12**
iwathxr&nÙker							
12.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	3,963.00	1,811.79	1,039.49	4,664.82	2,192.04
13.	26	गृह विभाग (पुलिस)	356.13	488.36	363.24	126.51	110.84
14.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	165.56	373.36	164.73	148.22	640.44
15.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	153.04	401.78	222.64	190.59	116.75
16.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	103.62	415.46	588.84	524.04	1634.76
17.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,086.27	734.86	805.77	1,756.34	664.63
		;ksx	**5,827.62**	**4,225.61**	**3,184.71**	**7,410.52**	**5,359.46**
iwathxr–Hkkfjr							
18.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,288.06	9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46
		;ksx	**9,288.06**	**9,999.25**	**9,934.16**	**9,840.02**	**9,971.46**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

lkj.kh दर्शाती है कि विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के ₹ 6,459.69 करोड़ से बढ़कर (₹ 5,854.43 करोड़; 91 *प्रतिशत*) वर्ष 2014–15 में ₹ 12,314.12 करोड़ हो गयी। बचत मुख्यतः अनुदान संख्या 14– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ₹ 1,906.06 करोड़ (412 *प्रतिशत*), अनुदान संख्या 37– नगर विकास विभाग ₹ 2,107.43 करोड़ (322 *प्रतिशत*) और अनुदान संख्या 83– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) ₹ 1,194.20 करोड़ (91 *प्रतिशत*), के अन्तर्गत थी।

इसी प्रकार, पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अर्न्तगत विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) अनुदान संख्या 48– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वर्ष 2013–14 के ₹ 148.22 करोड़ से बढ़कर (₹ 492.22 करोड़; 332 *प्रतिशत*) वर्ष 2014–15 में ₹ 640.44 करोड़ और अनुदान संख्या 83– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) में वर्ष 2013–14 में बचत ₹ 524.04 करोड़ से बढ़कर (₹ 1,110.72 करोड; 212 *प्रतिशत*) वर्ष 2014–15 में ₹ 1,634.76 करोड़ थी।

अनुदानों की पर्याप्त संख्या में वर्ष भर अनवरत बचतें, धन की आवश्यकता एवं व्यय के प्रवाह की बिना उचित जाँच के राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.3 0;;kf/kD;

छः अनुदानों के सात प्रकरणों में ₹ 19,773.49 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,288.28 करोड़ अधिक थी, जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक का व्यय था। इसका विवरण *ifjf'k"V 2-2* में दिया गया है।

lkj.kh 2-5 के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों मे लगातार विगत पाँच वर्षों में 2014-15 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

lkj.kh 2-5½ vuojr vf/kd 0;; ls lEcfU/kr vuqnkuksa dk fooj.k

¼₹ करोड़ में)

Øe la	vuqnku la[;k ,oa uke	0;;kf/kD; dh /kujkf'k				
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
	jktLo&nÙker					
1.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	121.37	106.77	166.12	204.95	310.73
	iw¡thxr&nÙker					
2.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	144.20	54.55	71.97	70.68	47.23
3.	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,152.14	1,068.66	2,152.37	3,131.34	2,430.21

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 58– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) एवं पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 55 – लोक निर्माण विभाग (भवन) व अनुदान संख्या 58– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) में

वर्ष 2010–15 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

2.3.4 foxr o"kkZ d vuqnkuk@fofu;kxk l vf/kd g, 0;;k d fofu;ferhdj.k dh vko';drk

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से विनियमित कराये। यद्यपि, वर्ष 2005–14 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 20,352.17 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 84 अनुदानों एवं 33 विनियोगों के अंतर्गत हुए वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु प्रतीक्षित थे, का विवरण lkj.kh 2-6 में दिया गया है।

lkj.kh 2-6% foxr o"kkZ d vuqnkuk@fofu;kxk l vf/kd g, 0;;k d fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(₹ करोड़ में)

o"kZ	vuqnku@fofu;kxk dh l[;k	vuqnku@fofu;kxk dk fooj.k	vf/kD; jkf'k
2005-06	25–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत–8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत–15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40, 55, 56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित–1,52; पूंजीगत भारित–52,55;	1,026.78
2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत–9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत–3,16,31,37,55,57,58,89,96; राजस्व भारित–2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत–13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित–51,66;	3,610.65
2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत–62,96; पूंजीगत दत्तमत–55,58,96; राजस्व भारित–52;	3,399.42
2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–58; पूंजीगत दत्तमत–1,16,55,58,59; राजस्व भारित–3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत–30,51,91; पूंजीगत दत्तमत–10,55,58; राजस्व भारित–10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–21,62,91; पूँजीगत दत्तमत–1,55,58; राजस्व भारित–13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	4–अनुदान 3– विनियोग	राजस्व दत्तमत–-51,57; पूँजीगत दत्तमत–55,58; राजस्व भारित–55,62,89;	2,380.23
2013-14	2–अनुदान 1–विनियोग	पूँजीगत दत्तमत–55,58; पूँजीगत भारित–52;	2,608.18
		;kx	**20,352.17**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.5 o"k 2014&15 e vunkuk@fofu;kxk l vf/kd g, 0;; d fofu;ferhdj.k dh vko';drk

वर्ष 2014–15 में अनुदानों/विनियोगों के आठ प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 2,225.32 करोड़[1] का सार lkj.kh 2-7 में दिया गया है।

lkj.kh 2-7% o"k 2014&15 d nkjku iko/kku l vf/kd 0;; d fofu;ferhdj.k dh vko';drk

(₹ करोड़ में)

Ø0 l0	vunku@fofu;kx dh l[;k ,o uke	dy vunku@ fofu;kx	0;;	0;;kf/kD;	o"k d nkjku fuf/k;k dk lek;kstu	0;;kf/kD; d fofu;ferhdj.k dh vko';drk
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व दत्तमत						
1.	57– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	17.00	19.03	2.03	1.73	0.30
2.	91– संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	234.63	239.33	4.70	0.00	4.70
	;kx	**251.63**	**258.36**	**6.73**	**1.73**	**5.00**
पूँजीगत दत्तमत						
3.	1– आबकारी विभाग	2.43	3.08	0.65	0.00	0.65
4.	40– नियोजन विभाग	2,234.44	2,600.69	366.25	0.00	366.25
5.	55–लोक निर्माण विभाग (भवन)	40.90	88.13	47.23	4.08	43.15
6.	57– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,297.46	1,430.56	133.10	130.05	3.05
7.	58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	8,761.46	11,191.67	2,430.21	623.10	1,807.11
	;kx	**12,336.69**	**15,314.13**	**2,977.44**	**757.23**	**2,220.21**
jktLo Hkkfjr						
8.	13– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	*0.16*	*0.27*	*0.11*	*0.00*	*0.11*
	;kx	**0.16**	**0.27**	**0.11**	**0.00**	**0.11**
	egk;kx	**12,588.48**	**15,572.76**	**2,984.28**	**758.96**	**2,225.32**

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2014–15)

lkj.kh से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन मार्च 2015 तक ₹ 2,225.32 करोड़ का विनियमितीकरण होना प्रतीक्षित था।

2.3.6 vuko';d@vi;kIr vuiqjd iko/kku

वर्ष 2014–15 में 51 प्रकरणों में ₹ 6,543.41 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण *ifjf'k"V 2-3* में दिया गया है। यद्यपि, अनुदान संख्या 40– नियोजन विभाग, 55–लोक निर्माण विभाग (भवन), 57– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु),

[1]विभिन्न अनुदानों में प्रोराटा/उचन्त समायोजन होने के कारण अवशेष आधिक्य धनराशि (₹ 3,308.30 करोड़ - ₹ 2,225.32 करोड़) के अलग से विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है।

58– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) एवं 91– संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) में ₹ 1,974.24 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 3,252.70 करोड़ का अधिक व्यय अनाच्छादित रहा ¼*ifjf'k"V 2-4*½A अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में किया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

2.3.7 vf/kd@vuko';d fuf/k;ksa dk iqufoZfu;ksx

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है[2]।

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप, 41 अनुदानों के 114 उप–शीर्षों में ₹ 1,892.82 करोड़ की बचत तथा 25 अनुदानों के 49 उपशीर्षों में ₹ 913.90 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ, जिसका विवरण *ifjf'k"V 2-5* में दिया गया है।

2.3.8 vR;f/kd /kujkf'k;ksa dk vH;iZ.k

254 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों, ₹ 18,900.92 करोड़ का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) मुख्यतः विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में आर्थिक मितव्ययिता तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन न मिलने के कारण किया गया। वर्ष 2014–15 के 254 योजनाओं/कार्यक्रमों में कुल प्रावधानित ₹ 24,135.61 करोड़ में से ₹ 18,900.92 करोड़ (78 *प्रतिशत*) की धनराशि अभ्यर्पित की गई, इनमें 115 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित ₹ 3,285.24 करोड़ का शत–*प्रतिशत* अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों के नाम, लेखाशीर्षों, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों, जैसा कि शासन द्वारा सूचित किया गया, के साथ *ifjf'k"V 2-6* में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित सावधानी नहीं रखी गयी।

2.3.9 okLrfod cpr ls vf/kd vH;iZ.k

वर्ष 2014–15 में 10 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 5,598.54 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 6,023.92 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 425.38 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण *ifjf'k"V 2-7* में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

2.3.10 vH;fiZr u dh xbZ iwokZuqekfur cpr

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2014–15 के अन्त में 21 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित

---

[2]बजट मैनुअल भाग–II

विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इसमें ₹ 8,543.35 करोड़ की धनराशि निहित थी, जिसका विवरण *ifjf'k"V 2-8* में दिया गया है।

इसी प्रकार, 63 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 45,742.98 करोड़ में से ₹ 23,118.61 करोड़ (51 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 55,351.80 करोड़ का 42 *प्रतिशत* थी, जिसका विवरण *ifjf'k"V 2-9* में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रहीं तथा इनका उपयोग विकास के वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 vkdfLedrk fuf/k ls vfxze

राज्य सरकार द्वारा ₹ 600 करोड़ की कॉर्पस धनराशि के साथ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1962 के अधीन आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की जाती है जो राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत किये जाने हेतु लम्बित होते हैं। राज्य के समेकित निधि में सम्बन्धित कार्यदायी मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन–देन वित्त लेखे के विवरण संख्या–21 में मुख्य शीर्ष 8000– आकस्मिकता निधि के अधीन दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 203.15 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष आकस्मिकता निधि में मार्च 2015 के अन्त तक नहीं की जा सकी।

2.3.12 O;; dk vfrjsd

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में अधिक व्यय से बचना चाहिये।

वर्ष 2014–15 में कुल राजस्व व्यय का 20.59 *प्रतिशत* एवं कुल पूंजीगत व्यय का 46.78 *प्रतिशत* माह मार्च 2015 में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग (21 *प्रतिशत*) दर्शाते हैं। विवरण *ifjf'k"V 2-10* में दिया गया है।

2.3.13 ctVh; ikoo/kku dk O;ixr gksus ls cpkus ds fy, fuf/k;ksa dk vkgj.k

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि लोक लेखा को राज्य के समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचते हुए शासकीय व्यय सीधे समेकित निधि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–V, भाग–1 का नियम–162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसकी त्वरित संवितरण के लिए आवश्यकता न हो।

यद्यपि, समाज कल्याण और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के स्वीकृति आदेश के नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 82.56 करोड़ की धनराशि कोषागार से आहरित की गई एवं प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए वैयक्तिक लेजर खाते में जमा की गई, जिसका विवरण lkj.kh 2-8 में दिया गया है–

lkj.kh 2-8% ctVh; izko/kku dk O;ixr gksus ls cpkus ds fy, fuf/k;ksa dk vkgj.k

Ø0 l0	vuqnku l[;k] foHkkx dk uke rFkk eq[; 'kh"kZ	ctV izko/kku ¼₹ djksM+ esa½	O;fDrd ystj [kkrs esa tek dh xbZ /kujkf'k ¼₹ djksM+ esa½	foRrh; izHkkoksa ij ys[kk ijh{kk fu"d"kZ
1.	अनुदान सं0 49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग मुख्य लेखा शीर्ष 2235	5,171.01	77.56	• मेडिसिन किट क्रय करने हेतु ₹ 17.70 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2015) किया गया और कोषागार से आहरित (मार्च 2015) कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम (यू.पी.एस.डब्लू.सी.सी.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) किया गया। • रूपये 6.91 करोड़ एम आई एस पंजिका के क्रय हेतु स्वीकृत (मार्च 2015) किया गया जिसे कोषागार से आहरित (मार्च 2015) किया गया और उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) किया गया। • प्री स्कूल किट्स के क्रय हेतु ₹ 52.95 करोड़ की स्वीकृति (मार्च 2015) दी गयी एवं कोषागार से आहरित (मार्च 2015) कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) की गयी।
2.	80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) मुख्य लेखा शीर्ष 2235	4,075.05	5.00	• वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना हेतु ₹ पाँच करोड़ स्वीकृत (जनवरी 2015) किया गया और कोषागार से आहरित (मार्च 2015) कर उ0प्र0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) किया गया।
	;ksx	**9,246.06**	**82.56**	

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

इस प्रकार, वर्ष 2014–15 में ₹ 82.56 करोड़ की धनराशि कोषागार से आहरित करके वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया गया जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं की अवमानना थी एवं विभागों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V भाग–1 में उल्लिखित प्रावधानों के बजटीय नियम का उल्लंघन बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

2.4 p;fur vuqnku dh leh{kk ds ifj.kke

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (अ) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न मांगों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत अनुदान होती है।

विनियोग अधिनियम, 2014 के कुल 94 अनुदानों में से एक, अनुदान संख्या 21– खाद्य एवं रसद विभाग की माह अक्टूबर 2015 में समीक्षा की गयी। वर्ष 2014–15 में अनुदान

के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण *ifjf'k"V 2-11* में सारांशीकृत है। समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

vunku l[;k 21& [kk| RkFkk jln foHkkx

शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में लेखाशीर्ष 4408–01–101–03 खाद्यान्न पूर्ति योजना के अंतर्गत कृषकों से 16.75 लाख मीट्रिक टन (एम.टी) खाद्यान्न क्रय करने हेतु ₹ 7,059.14 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। बजटीय धनराशि ₹ 7,059.14 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 5,171.48 करोड़ खाद्यान्नों के क्रय हेतु व्यय किया गया एवं ₹ 1,887.66 करोड़ का व्यय नहीं किया गया। खाद्यान्नों के क्रय का लक्ष्य एवं प्राप्ति lkj.kh 2-9 में दिया गया है–

lkj.kh 2-9½ o"k 2014&15 e [kk|kUuk d Ø; dk Yk{; ,o ikfIr

Ø0 l0	fooj.k	Ø; gr fu/kkfjr y{;	okLrfod Ø;	vkf/kD; (+)@deh (-) ¼ifr'kr dk"Bd e½
		yk[k ,e-Vh- e		
1	गेहूँ	10.25	0.55	(-) 9.70 (95 *प्रतिशत*)
2	धान	6.50	11.30	(+) 4.80 (74 *प्रतिशत*)
	;kx	**16.75**	**11.85**	**(-) 4.90 (29 *ifr'kr*)**

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

lkj.kh 2-9 दर्शाती है कि न केवल खाद्यान्नों (गेहूँ एवं धान) के क्रय में, जैसा कि प्रत्येक के लिये लक्ष्य निर्धारित था, उनके कुल क्रय में 29 *प्रतिशत* की कमी थी। खाद्यान्नों में क्रय की कमी के परिणामस्वरूप एवं अंतर्खाद्यान्न क्रय में मात्रा की विभिन्नता के कारण वर्ष 2014–15 में ₹ 1,887.66 करोड़ की बचत हुई। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बचत का समर्पण किया गया।

2.5 dk"kkxkj fujh{k.k ifronu dk ifj.kke

राज्य में 79 कोषागार एवं 207 उपकोषागार हैं। वर्ष 2014–15 में 76 कोषागार एवं 207 उपकोषागारों का निरीक्षण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया गया। कोषागार निरीक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है।

2.5.1 fnoxr i'kujk d vlforfjr i'ku dh olyh dk u gk ikuk

पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात असंवितरित पेंशन की राशि ब्याज सहित सम्बन्धित बैंको से वापस प्राप्त कर चालान के माध्यम से शासकीय लेखे के प्राप्ति शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए।

यद्यपि, कोषागारों में उपलब्ध पेंशन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 52 कोषागारों के 612 प्रकरणों से सम्बन्धित असंवितरित पेंशन ₹ 120.65 लाख की धनराशि बैंको से वापस नहीं ली गयी और 2014–15 के अंत तक सम्बन्धित बैंको से वापस लिया जाना शेष है। कोषागारवार असंवितरित धनराशि की वांछित वसूली का विवरण *ifjf'k"V 2-12* में दिया गया है।

2.5.2 miknu@ lkjk'khd`r jkf'k dk vf/kd@de Hkqxrku

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में छः कोषागारों[3] में सेवानिवृत्ति उपादान का ₹ 3.62 लाख का अधिक भुगतान एवं 11 कोषागारों[4] में ₹ 35.10 लाख का कम भुगतान किया गया। इसी प्रकार, दो कोषागारों[5] में पेंशन के सारांशीकृत राशि का ₹ 3.19 लाख का अधिक भुगतान तथा आठ कोषागारों[6] में ₹ 4.22 लाख का कम भुगतान किया गया।

2.5.3 iku dk vkoVu u fd;k tkuk

अंशदान पेंशन योजना के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में आने वाले कर्मचारियों को प्रान (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नम्बर) आवंटित किया जाना था। कोषागार निरीक्षण के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2015 तक 22 कोषागारों में पेंशन योजना से आच्छादित 14,123 कर्मचारियों को प्रान आवंटन प्रतीक्षित है (*ifjf'k"V 2-13*)।

2.6 fu"d"k ,oa laLrqfr;k

foRrh; mRrjnkf;Ro ,oa ctVh; izcU/ku

- ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचत, ₹ 55,351.80 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो ₹ 3,308.30 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत और अनुपूरक प्रावधानों के प्रकरण थे।

संस्तुति : शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली समस्त विभागों में सुदृढ़ हो जिससे कि प्रावधान अनुपयोगी न रहे। शासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान से बचा जाय।

O;;kf/kD;

- वर्ष 2005–14 की अवधि में किए गये व्ययाधिक्य ₹ 20,352.17 करोड़ एवं वर्ष 2014–15 में किये गये ₹ 2,225.32 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

संस्तुति% शासन को व्ययाधिक्य के नियमितीकरण के लिये त्वरित कदम उठाना चाहिए।

---

[3] सहारनपुर, भदोही, सुल्तानपुर, हरदोई, बागपत और मेरठ।
[4] गौतमबुद्व नगर, बागपत, सहारनपुर, संत रविदासनगर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, बरेली, झांसी, मऊ, सोनभद्र और पी.ए.ओ. नई दिल्ली।
[5] हरदोई और गौतमबुद्वनगर।
[6] सुल्तानपुर, पी.ए.ओ. नई दिल्ली, बागपत, हरदोई, मऊ, सोनभद्र, संत रविदासनगर और सीतापुर।